Form No. III

3

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रट जोधपुर

सगतसिंह वगैरा बनाम **उपखण्ड मजिस्ट्रेट औसिया अन्य**

किस्म मुकदमा **धारा 411, दण्ड प्रकिया संहिता** नम्बर 01 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हु की तामील में जारी
10.06.19	आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता श्री नाहरसिंह सोलंकी व पुष्पेन्द्रसिंह सोलंकी उपस्थित। अप्रार्थीपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र वाक्यात इस प्रकार है कि दिनांक 11.01.2019 को प्रार्थीगण सगतसिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत निवासी ग्राम इन्दों का बास, तहसील बापिणी जिला जोधपुर व अन्य की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 411, दण्ड प्रकिया संहिता के तहत विरूद्ध अप्रार्थी (1)उपखण्ड मजिस्ट्रेट औसियां पीठासीन अधिकारी श्री रतनलाल रेगर, (2) तहसीलदार लोहावट एवं (3) रूपसिंह पुत्र इन्द्रसिंह राजपूत निवासी इन्दों का बास, तहसील बापीणी जिला जोधपुर के प्रस्तुत करते हुए उपखण्ड मजिस्ट्रेट औसियां न्यायालय में विचाराधीन फौजदारी प्रकरण संख्या 2/2018 बअनवान राजस्थान राज्य जरिये भारसाधक पदाधिकारी थाना मतोड़ा बनाम अप्रार्थी पार्टी नं0–1 रूपसिंह व पार्टी नं. सगतसिंह वगैरा को सुनवाई के लिए अन्यत्र न्यायालय में मुंतकिल करने की इस्तदुआ की। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। उपखण्ड मजिस्ट्रेट औसियां न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्रांक 255 दिनांक 18.01.2019 प्राप्त हो चुकी है। अप्रार्थी–3 रूपसिंह का नोटिस तारीख पेशी 13.05.2019 को अजखुद तामील हुआ है। अप्रार्थी–3 रूपसिंह इत्तला बावजूद अनुपस्थित होने से आज दिनांक 10.06.2019 को प्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। लगातार....	

10-06-19

प्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि ग्राम जेरिया के खेत खसरा नम्बर 8 रकबा 30.08 बीघा, ख.नं. 48 रकबा 16.14 बीघा प्रार्थीगण सगतसिंह वगैरा एवं अप्रार्थी रूपसिंह के पिता इन्द्रसिंह की सहखातेदारी की आई हुई है तथा इसी विवादग्रस्त भूमि उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) फलोदी न्यायालय में विचाराधीन है तथा उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने खेती करने की इजाजत दी गई, परन्तु उपखण्ड मजिस्ट्रेट औसियां द्वारा विपक्षी पार्टी से मिलीभगत कर विधि विरूद्ध कुर्की कराने के आदेश दिये गये तथा उप जिलामजिस्ट्रेट औसियां द्वारा येन–केनप्रकरेण अब इसी भूमि को निलामी के द्वारा तहसीलदार लोहावट को आदेश दिये गये है। प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तक गया परन्तु उपखण्ड मजिस्ट्रेट औसियां द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करते हुए प्रकरण को बिना वजह लम्बा करने की नियत से तहसीलदार लोहावट को नीलामी कार्यवाही करने के आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर दे दिया गया। इस प्रकार उपखण्ड मजिस्ट्रेट औसियां से इस प्रकरण में न्याय मिलने की कतई संभावना नहीं है, अन्त में उपखण्ड मजिस्ट्रेट औसियां के समक्ष लम्बित फोजदारी प्रकरण सं0 2/2018 सरकार बनाम रूपसिंह पार्टी–1 एवं सगतसिंह व अन्य पार्टी–2 अ/धा. 145, 146 दण्ड प्रकिया संहिता को सुनवाई के लिए अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट औसिया न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.01.2019 में बतलाया कि पुलिस थाना मतोड़ा ने ग्राम जेरिया के ख.नं. 8 रकबा 30.08 बीघा, ख.नं. 48 रकबा 16.14 बीघा को लेकर अप्रार्थीपक्षकार के बीच बंटवाड़ा को लेकर भारी विवाद होने के कारण बोई गई फसल को लेकर दोनों पक्षों में अशांति, जनहानि होने की संभावना को लेकर पुलिस थाना मतोड़ा में मुकदमा दर्ज होने एवं प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट एवं दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात् खड़ी फसल को कुर्की करने का थानाधिकारी मतोड़ा को आदेश दिया गया। तत्पश्चात् फसल की निलामी तहसीलदार लोहावट द्वारा करवाई गई। अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि गैरसायल द्वारा जो भी आरोप लगवाये गये वो मिथ्या

लगातार

व भ्रामक है।

प्रस्तुत प्रकरण में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में उपखण्ड मजिस्ट्रेट औसियां न्यायालय के समक्ष विचाराधीन फौजदारी प्रकरण सं0 02/2018 अ/धा 145,146 दण्ड प्रकिया संहिता बअनवान राजस्थान राज्य बनाम अप्रार्थी रूपसिंह पार्टी–1 व सगतसिंह वगैरा पार्टी–2 की अग्रिम सुनवाई के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट शहर, प्रथम जोधपुर को स्थानान्तरित करने का आदेश दिया जाता है। अपर जिला मजिस्ट्रेट शहर, प्रथम जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिसम्मतः निर्णय पारित करें। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट औसियां एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट शहर प्रथम जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।